Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.S.W. -4

समाज कार्य एवं सामाजिक विकास

(Social Work and Social Development)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Chavi Rastogi*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

समाज कार्य एवं सामाजिक विकास

(Social Work and Social Development)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-3

Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-3

Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-3

Question Paper—June, 2018 (Solved) 1-2

Question Paper—December, 2017 (Solved) 1-2

Question Paper—June, 2017 (Solved) 1-2

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

1. प्रवास/अभिगमन 1
(Migration)

2. ग्रामीण-शहरी सातत्यक और शहरीकरण 7
(Rural-Urban Continuum and Urbanisation)

3. औद्योगीकरण 13
(Industrialization)

4. वैश्वीकरण 20
(Globalisation)

5. परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना एवं उदारीकरण का प्रभाव 26
(Changing Occupational Structure and Impact of Liberalization)

6. सामाजिक और मानव विकास 34
(Social and Human Development)

7. सतत विकास 45
(Sustainable Development)

8. विकास और प्रगति : आर्थिक और सामाजिक आयाम 55
(Development and Progress: Economic and Social Dimensions)

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
9.	विकास के संबंध में लिंग परिप्रेक्ष्य (Gender Perspectives on Development)	63
10.	जनसंख्या और विकास (Population and Development)	75
11.	संविधान के सामाजिक आदर्श (Social Ideals of Indian Constitution)	84
12.	समाज कार्य और मानव अधिकार (Social Work and Human Rights)	95
13.	हितकारी अर्थव्यवस्था और विकास (Welfare Economics and Development)	104
14.	भारतीय न्यायिक प्रणाली (Indian Judicial System)	111
15.	महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान (Legal Provision for Women)	121
16.	अपंग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान (Legal Provisions for Persons with Disabilities)	134
17.	बालकों के लिए कानून (Legal Provision for Children)	146
18.	कानूनी सहायता, सामाजिक समर्थन और सामाजिक कार्यकर्त्ता की भूमिका (Legal Aid, Social Advocacy and Role of Social Worker)	156

■ ■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

समाज कार्य एवं सामाजिक विकास

(Social Work and Social Development)

M.S.W.-4

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. प्रवास के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए और उनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'प्रवास के सिद्धांत'

अथवा

मानव विकास के संकेतों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-37, 'विकास इंडेक्स'

प्रश्न 2. वैश्वीकरण के सन्दर्भ में सतत विकास का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-53, प्रश्न 4

अथवा

हमारे लिए महत्त्वपूर्ण निर्देशक सिद्धान्तों और उनके महत्त्व को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-91, प्रश्न 2

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) नगरीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-8, 'शहरी समाज की विशेषताएं'

(ख) विकास पर्यावरण ने सतत विकास की अवधारणा को किस प्रकार आकार दिया है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-45, 'विकास पर्यावरण बहस'

(ग) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की संक्षेप में समीक्षा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-121, 'भारत में महिलाओं के अधिकार और विशेषाधिकार–संवैधानिक प्रावधान'

(घ) मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सरकार द्वारा क्या कानूनी पहल की गई है और उन्हें कैसे लाभ हुआ है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-136, 'मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) शहरीकरण के परिणामों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-9, 'शहरीकरण एक प्रक्रिया के रूप में'

यह भी जोड़ें–शहरीकरण के फायदे–

- शहरीकरण से रोजगार का सृजन होता है और नए अवसर प्राप्त होते हैं।
- शहरीकरण से लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़कें इत्यादि मिल पाती हैं।
- आज अच्छे मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क की सुविधा हमारी बुनियादी आवश्कता बन गई है। ये भी हमें शहरों में बेहतर प्राप्त होते हैं।
- शहरों में यातायात के बेहतर साधन होते हैं।

शहरीकरण के नुकसान–

- प्रदूषण।
- शहरीकरण की कीमत जंगलों की कटाई के रूप में चुकानी पड़ती है।
- शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि की कम होती उपलब्धता ने खाद्य संकट को जन्म दिया है।
- पर्यावरण पर बढ़ता बोझ।
- वर्तमान युग में कचरा निपटान की समस्या शहरीकरण की एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।
- ट्रैफिक की समस्या इत्यादि।

(ख) सतत विकास की आलोचना पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-52, प्रश्न 3

(ग) नए कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रभावों का वर्णन कीजिए

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-104, 'हितकारी अर्थव्यवस्था', पृष्ठ-110, प्रश्न 3

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

(घ) सामाजिक विकलांगता संख्या क्या है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-137, 'सामाजिक अपंगता की गणना'

(ङ) कानूनी सहायता क्या है? इसके लिए कौन पात्र है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-18, पृष्ठ-156, 'कानूनी सहायता की अवधारणा', पृष्ठ-157, 'कानूनी सहायता की आवश्यकता किसको है'

(च) औद्योगीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके जैविक इतिहास पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-13, 'संकल्पनाएं तथा अर्थ–'औद्योगीकरण', 'ऐतिहासिक संदर्भ'

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) जनहित याचिका (PIL)

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-18, पृष्ठ-167, प्रश्न 5

(ख) उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-18, पृष्ठ-161, 'उपभोक्ता संरक्षण हेतु कानून'

(ग) बुजुर्गों के अधिकार

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-18, पृष्ठ-167, 'वृद्धों के अधिकार'

(घ) समन (Summon)

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-115, 'सम्मन और वारंट के मामले/मुकदमे'

(ङ) जमानती और गैर-जमानती अपराध

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-115, 'जमानत योग्य और गैर जमानती अपराध'

यह भी देखें–भारतीय दंड संहिता, 1860, अपराधों को शमनीय (कंपाउंडेबल), गैर-शमनीय (नॉन-कंपाउंडेबल), जमानती और गैर-जमानती में वर्गीकृत करता है। जमानती अपराध वे अपराध हैं जहां किसी व्यक्ति को जेल की कैद से मुक्त करना अधिकार का मामला है। सरल शब्दों में, इसका अर्थ है कि बिना किसी निषेध के जमानत को एक अधिकार के रूप में लिया जा सकता है। जबकि गैर-जमानती अपराध ऐसे अपराध हैं, जहां जमानत विवेक का विषय है। इन मामलों में, न्यायाधीश गंभीर रूप से तथ्यों और अन्य प्रासंगिक कारकों की जांच करता है, ताकि यह तय किया जा सके कि जमानत दी जाए या नहीं। जमानती और गैर-जमानती अपराधों की अवधारणा और जमानत के प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक हैं, क्योंकि एक ओर, ये अभियुक्तों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं और दूसरी ओर ये अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।

(च) अधिवक्ता के कर्तव्य

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-116, 'वकीलों के कर्तव्य'

(छ) विकास के मॉडल

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-58, 'विकास के मॉडल'

(ज) लिंग और वर्ग

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-66, 'लिंग और वर्ग'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

समाज कार्य एवं सामाजिक विकास
(Social Work and Social Development)

प्रवास/अभिगमन
(Migration)

1

परिचय

जितनी पुरानी मानव सभ्यता है, उतनी ही प्राचीन प्रवास प्रक्रिया भी है। देश के अनेकों भागों में सभ्यता के प्रसार से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना/गमन करना काफी महत्त्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में मानव भोजन व शिकार हेतु परिगमन करता था।

प्रवास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। गाँव का व्यक्ति नौकरी पाने की लालसा में शहर की ओर गमन करता है और शहरों के लोग महानगरों की ओर गमन करते हैं, ताकि उन्हें वहाँ अपने शहरों से भी ज्यादा धन अर्जित करने का मौका प्राप्त हो सके।

अध्याय का विहंगावलोकन

परिभाषा और प्रकार

प्रवास का तात्पर्य एक सामान्य स्थान में एक बस्ती से दूसरी बस्ती में परिवर्तन है। इसके दो पहलू होते हैं–

(1) स्थानिक

(2) कालिका इसमें लम्बी अवधि के लिए व स्थान से पूरा परिवर्तन होता है। थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर जाकर रहने को प्रवास नहीं कहा जा सकता है। जबकि इसका अर्थ थोड़े समय की उन गतिविधियों से होता है जिनका स्वरूप चक्रीय होता है अर्थात समयानुसार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे श्रमिकों को कार्य करने हेतु कुछ समय के लिए अपना गाँव छोड़कर जाना पड़े। उनका मन वहाँ लम्बी अवधि तक नहीं लग सकता। थोड़े समय पश्चात सभी श्रमिक अपने-अपने गाँव वापस लौट आते हैं।

प्रवास आर्थिक व सामाजिक भी हो सकता है। इसकी अवधि दीर्घ व अल्प भी हो सकती है। प्रवास को अंत: प्रवास व बाह्य प्रवास भी कहते हैं। अंत: प्रवास का तात्पर्य किसी क्षेत्र से गमन से होता है, जबकि बाह्य प्रवास का तात्पर्य किसी क्षेत्र से बाहर जाने से होता है। अंत: प्रवास व बाह्य प्रवास का मिलाजुला रूप आंतरिक प्रवास/देश के अंदर प्रवास कहलाता है। किसी भी स्थान पर अंत:प्रवासियों व बाह्य प्रवासियों की संख्या के बीच के अंतर की वास्तविक 'प्रवास' कहते हैं।

'अंतर्राष्ट्रीय प्रवास' देशों की क्षेत्रीय सीमाओं के बीच होता है। अप्रवासी अंत:प्रवास व 'उत्प्रवास' बाह्य प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है।

प्रवास की धाराएँ

प्रवास की धारा तब बनती है, जब अनेकों व्यक्ति एक ही प्रवास में सम्मिलित होते हैं। प्रवास की धाराएँ चार प्रकार की होती हैं–

***(i)* ग्रामीण से शहरी**–ग्रामीण व्यक्ति अपने आर्थिक कारणों से विकासशील देशों की ओर अग्रसर होते हैं, जिन्हें वहाँ पर बेहतर जीवन, रोजगार व शहरी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अधिक जनसंख्या, अल्प रोजगार, श्रमानुसार वेतन न मिलना आदि, ये सब बातें ग्रामीण व्यक्ति को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य कर देती हैं। तीन-चौथाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जो शहरों में जल, बिजली, आवास आदि जैसी समस्याओं को जन्म देती है। *(रेवेंस्टीन के नियम 2002)*

***(ii)* शहरी से शहरी**–छोटी जगह अर्थात कम विकसित देश के लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। महानगरों में अच्छा रोजगार मिल जाता है। रोजगार के हिसाब से उचित आय भी प्राप्त हो जाती है। बड़े शहर छोटे-छोटे शहरों के सहारे ही विकास करते हैं।

***(iii)* ग्रामीण से ग्रामीण**–आंतरिक प्रवास का एक बड़ा हिस्सा विकासशील देशों में सम्मिलित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसी के माध्यम से एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करता है। इसके तीन कारण हैं–पहला, ग्रामीण जनसंख्या का विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की क्षमता का अंतर; दूसरा कारण ग्रामीण महिलाओं का प्रवास अर्थात शादी के उपरान्त वे उसी घर में रहती हैं और पति भी वहीं निवास करने लगता है; तीसरा कारण आपसी संबंध अर्थात कोई भी व्यक्ति उसी जगह जाना पसंद करेगा, जहाँ पर उसे कोई आश्रय दे सके। बहुत कम लोग अनजान

www.neerajbooks.com

जगह जाना चाहते हैं, जहाँ पर उनका कोई भी न हो। ग्रामीण परिवारों का मेलजोल ग्रामीण क्षेत्रों से ही होता है, इसलिए उनके लिए शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए जाना अच्छा/ठीक लगता है।

***(iv)* शहरी से ग्रामीण**–गाँवों से लोगों का नगर की ओर जाना शहरीकरण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों का प्रवास 'प्रतिगामी' प्रवास कहलाता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बीच का अन्तर जीवन व सुविधाओं के संसाधनों तक समाप्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत-से क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्रों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे सभी सुविधाएँ हैं, जो शहर में होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे प्रमुख लाभ शुद्ध वायु है, जो शहरी क्षेत्रों में संभव ही नहीं है। महानगरों की स्थिति भी ज्यादा जनसंख्या के कारण खराब होने लगती है, जिससे ग्रामीण लोग अपने गाँव की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। वे अपनी कृषि, अपने छोड़े हुए वंशगत उद्योगों में पुनः लग जाते हैं।

भारत में आज भी बहुत-से ऐसे सेवानिवृत व्यक्ति हैं, जो वापस आकर अपने गाँव में निवास करते हैं।

***(v)* शहरी से उपशहरी क्षेत्रों में**–शहरी केन्द्रों से उपशहरी केन्द्रों में क्षेत्रीय प्रवास का अन्तर शहरी से ग्रामीण की अपेक्षा अधिक होता है। शहरों के कार्यक्षेत्रों के अंदर उपशहरी क्षेत्र निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं। उपशहरी क्षेत्र शहर के अन्दर स्थित नहीं होते। ये ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जिनका शहर के पास होने के कारण उन ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण हो जाता है। उपशहरी क्षेत्रों में निवास हेतु भूमि का विकास किया जाता है। इसमें वे सभी सुविधाएँ होती हैं, जो एक शहर में होती हैं, जिससे शहरों की आबादी बढ़ने के कारण लोग असुविधाओं के चलते उपशहरों की ओर पलायन करने लगते हैं।

विविध प्रवास–हमारी सरकार नये-नये उद्योग व नये शहरों का जान-बूझकर छोटी-छोटी आबादी/जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्माण करती हैं, जिससे शहरों की आबादी व उसकी भीड़-भाड़ कम हो सके। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में, जावा में रहने वाले लोगों को सुमात्रा और बोर्नियो के द्वीपों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

भारत में प्रवास

भारत में जनगणना प्रति दस वर्ष बाद की जाती है। यह प्रवास की पद्धति व आँकड़ों का प्रमुख केन्द्र-बिन्दु है। जनगणनानुसार प्रवास को दो भागों में विभक्त किया जाता है–

(1) जन्मानुसार प्रवासी

(2) रिहायश के अंतिम स्थानानुसार प्रवासी।

पहले वालों की गिनती उनके जन्मस्थान से अलग गाँव/शहर में की गई थी और दूसरे वालों की गिनती उनके अंतिम रिहायशी स्थान से अलग अन्य स्थान पर की गई थी।

जन्मस्थान से प्रवास के मामले में प्रवासी के रूप में जिनकी गणना अधिक है, वे महिलाएँ हैं, जिनका आवास परिवर्तन विवाह उपरान्त स्वतः ही हो जाता है। 2001 की जनगणना में आँकड़ों के अनुसार प्रवासियों की कुल संख्या 31.4 करोड़ है। यह जन्मे प्रवासियों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा व रोजगार हेतु बाहर जाता है वह पुनः अपने जन्मस्थान पर वापस आ जाता है। ऐसे लोग जन्मस्थान के प्रवासी न होकर अंतिम रिहायश के प्रवासी हो जाते हैं। 4.11 करोड़ जनसंख्या बाहर से आने वाले प्रवासियों की मानी गई है।

जनगणनानुसार प्रवास के कई कारण बताए गए थे; जैसे–विवाह, शिक्षा, परिवार के साथ गमन, नौकरी, व्यवसाय आदि। महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण विवाह और पुरुषों के प्रवास का प्रमुख कारण रोजगार व शिक्षा होता है।

प्रवास के निर्धारक

किसी भी व्यक्ति/समूह का अपने प्रवास को छोड़कर जाना आसान नहीं होता है। कभी-कभी ऐसे जटिल कारण सामने आ जाते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति को, स्थान से स्थान को विलग यानि अलग कर देते हैं। प्रवास के कारकों को दो भागों में विभक्त किया गया है–

(1) धकेलने वाले कारक,

(2) खींचने वाले कारक।

बाह्य प्रवास के क्षेत्रों में कार्य करने के कारण व्यक्ति अपने स्थान से बाहर चला जाता है, जो धकेलने के कारक में आता है और खींचने वाले कारक यानि, अतः प्रवास क्षेत्रों में कार्य करना जिससे लोगों का प्रवास की ओर खिंचाव होने लगता है। इन दोनों की अनुभूति अलग-अलग होती है। इन दोनों प्रवासों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है।

आर्थिक धकेलने और खींचने के कारण–प्रवास का प्राथमिक कारक आर्थिक कारण है। सभी स्थानों पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर समान रूप से नहीं होते हैं। जब हमारा समाज औद्योगीकरण के द्वारा आधुनिकता की ओर अग्रसर होता है, तभी उत्पादन के केन्द्र निर्मित होते हैं। कृषि क्षेत्र में यदि उत्पादकता में कमी आ जाती है, तो ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाने लगती है और ग्रामीण बाह्य प्रवास की ओर उन्मुख होने लगते हैं।

जब कृषि क्षेत्र का विकास होता है अर्थात कृषि की उत्पादकता बढ़ने लगती है, तो किसानों का अभाव महसूस होने लगता है। प्रवास की मात्रा और दिशा को अच्छी कृषि ही निर्धारित कर सकती है। जहाँ पर विकासात्मक गतिविधियाँ होती हैं और रोजगार के सुअवसर प्राप्त होते हैं, वहीं अंतःप्रवासी आकर्षित होते हैं।

राजनैतिक खींच-तान के कारक–लोगों को प्रवास हेतु प्रेरित करने में राजनैतिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दासता और राजनैतिक अस्थिरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जन्म हुआ है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसी दुःखद घटनाएँ भी हैं, जब लोगों को अपना घर-बार छोड़कर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अठारहवीं शताब्दी दासों की प्रवास की घटना थी, तो उसी शरणार्थियों का प्रवास आधुनिक घटना है। संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थियों का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होता है, जिन्हें बलपूर्वक अपने देश से प्रवास के लिए जाना पड़ता है और अपने धर्म, राज्य, राजनैतिक मत के उत्पीड़न के भय के कारण अपने देश वापस नहीं आ सकते हैं।

भारत विभाजन के समय 1947 में सबसे बड़ा सामूहिक विभाजन हुआ था, जिसमें लाखों हिन्दुओं को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और लाखों की संख्या में मुसलमानों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा था।

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

पर्यावरणीय खींच-तान–पर्यावरण के कारण भी लोग प्रवास कर सकते हैं। अपनी ही जातियों का लुप्त होना, स्वच्छ वायु का अभाव, बंजर भूमि आदि।

इस प्रकार के कारण मनुष्यों को प्रवास के लिए मजबूर करते हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना होती है या सूखा पड़ने की शंका जताई जाती है, तो व्यक्ति उन क्षेत्रों से चले जाते हैं।

सामाजिक कारण–कुछ प्रकार के प्रवास सामाजिक रीतियों के कारण भी होते हैं। विवाह के उपरान्त महिलाएं अपने पिता के आवास को छोड़कर पति के घर चली जाती हैं। प्रवास के निर्णय को सरकारी नीतियाँ, सांस्कृतिक सम्पर्क, सूचना नेटवर्क जैसे कारक प्रभावित करते हैं। निम्न व सामाजिक-आर्थिक वर्ग के लोग गतिशील होते हैं, क्योंकि वे लोग गरीबी व सीमांतीकरण में रहते हैं। आजकल कौशलयुक्त व्यक्ति अच्छी नौकरी पाने की लालसा में दूसरे देश/स्थान पर चले जाते हैं। प्रवास की आवृत्ति, शिक्षा, सांस्कृतिक सम्पर्क से बढ़ जाती है। सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति ही गतिशील होता है बजाय उनके जो रीति-रिवाजों, प्राचीन परम्पराओं से जुड़े व बंधे होते हैं।

प्रवास की पद्धतियाँ सरकारी नीतियों को प्रभावित करती हैं। उन व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनको उनकी भूमि से विस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ उद्योगों का निर्माण, बाँधों का निर्माण आदि कार्य किए जा रहे हैं। कुछ देशों में श्रमिकों के प्रवास को रोकने की नीतियाँ बनाई गई हैं।

जनसांख्यिकीय कारण–ऐसे कई जनसांख्यिकीय कारक हैं, जो प्रवास की पद्धतियों में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बाह्य प्रवास तब घटित होता है, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो या आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। शहरी क्षेत्रों की ओर महिलाएँ कम जाती हैं और पुरुष ज्यादा जाते हैं। प्रवास के निर्णय को कौन-सा कारक प्रभावित करता है, यह पता लगाना संभव नहीं है।

प्रवास के परिणाम

प्रवास के प्रभावों को आर्थिक, पर्यावरणीय, जनसांख्यिकीय आदि भागों में बाँटा गया है, जो निम्नवत हैं–

***(i)* जनसांख्यिकीय प्रभाव**–जनसांख्यिकीय प्रभाव का तात्पर्य उस स्थान की जनसंख्या से होता है। जहाँ पर उत्पत्ति होनी चाहिए, वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है और आगमन के स्थान पर संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें पुरुषों की जनसंख्या कम हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है। गाँव के युवा शहर की ओर आ जाते हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इससे जनन अनुपात कम हो जाता है और आगमन का अनुपात अधिक हो जाता है।

***(ii)* सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रभाव**–संस्कृति का विस्तार जनगमन के साथ होता है अर्थात जो प्रवासी व्यक्ति होते हैं, वे अपनी संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज, आचार-विचारों को दूसरे समाज में ले जाते हैं, जिससे दोनो समाजों की संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है तो उस समय आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को एक साथ प्रवास करने में कठिनाई आती है, क्योंकि या तो वे लोग सामान्य बातचीत करते हैं या विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

ऐसे अनेकों देश/राज्य हैं, जिनमें विभिन्न समूहों में अंत:प्रवास के द्वंद्व की स्थिति को देखा गया है।

***(iii)* आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभाव**–प्रवास का आर्थिक व पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव होता है। अधिक मजदूर वाले क्षेत्रों से कम मजदूर वाले क्षेत्र में व्यक्तियों का जाना दोनों के लिए ही लाभदायक सिद्ध होता है। प्रवासियों के घर के सदस्यों को उनके द्वारा भेजी गई राशि से अपनी आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। ज्ञान कौशल व उद्योगों को शुरू करने के लिए धन अर्जित करके प्रवासी अपने गाँव में आ जाता है। छोटे शहर का उद्योगपति यदि अपना व्यवसाय/रोजगार बड़े शहर में ले जाता है, तो उस छोटे शहर के व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं और बड़े शहरों को उनकी आमदनी का नया रास्ता मिल जाता है। ग्रामीण जब शहरों की ओर गमन करने लगते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव कम हो जाता है अर्थात वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है और शहरी जनसंख्या में आबादी बढ़ जाती है। ग्रामीण प्रवासियों के कारण झुग्गी-झोंपड़ियों में बढ़ोतरी होने लगती है। इन कारणों से शहर के पर्यावरण पर दबाव पड़ने लगता है। जल, बिजली, परिवहन सेवादि में भी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है।

***(iv)* सामाजिक प्रभाव**–प्रवास का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जो निर्धन प्रवासी होते हैं, उन्हें खराब जगह यानि झुग्गी-झोंपड़ियों व गन्दे स्थानों पर रहना पड़ता है। कोई भी छोटी से छोटी नौकरी करनी पड़ जाती है। जो व्यक्ति प्रवास करते हैं, उनके पारिवारिक संबंध बिखरने लगते हैं।

प्रवास के सिद्धान्त

प्रवास के सिद्धान्त को लेकर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, जो सर्वमान्य होंगे। कोई भी इनकी अवहेलना नहीं कर सकता है प्रवास के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

***(i)* अधिकांश प्रवासी सिर्फ कम दूरी तक जाते हैं**–'दूरी क्षय कानून' के मुताबिक प्रवासी लम्बी दूरी तक न जाकर कम दूरी पर ही जाते हैं। आज के आधुनिक युग में लम्बी दूरी की यात्रा भी सहज ही की जा सकती है। गाँव का व्यक्ति जल्दी ही शहर पहुंच जाता है। छोटे शहरों/नगरों के व्यक्ति महानगरों में चले जाते हैं।

***(ii)* प्रवास चरणबद्ध तरीके से होता है**–ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अपने नजदीकी विकासशील शहरों की ओर अग्रसर होने लगते हैं, जिसके कारण उनका गाँव खाली होने लगता है। विकासशील शहर ग्रामीण परिवारों को अपनी ओर अकर्षित करते हैं।

***(iii)* लम्बी दूरियों पर जाने वाले प्रवासी सामान्यत: व्यवसाय अथवा उद्योग के बड़े केन्द्रों पर जाते हैं**–औद्योगिक क्रांति के समय यह विशेषता इंग्लैंड में दिखाई दी थी। आज भी विकासशील देशों की तरह ग्रामीण खिंचाव बढ़ता जा रहा है। गुरुत्व मॉडल नामक सिद्धान्त के द्वारा इस तथ्य को समझाया गया है। प्रवासी जनसंख्या की ग्रहण करने की क्षमता उसकी गंतव्यता की जनसंख्या से अधिक होती है। भारत में ऐसे अनेक देश हैं जिनका व्यापक स्तर पर प्रवास हुआ है।

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

***(iv)* प्रवास की प्रत्येक धारा कम सामर्थ्य की एक प्रति धारा निर्मित करती है**–यह नियम विकासशील देशों के लिए मान्य है। अफ्रीका के लिए 15वीं-19वीं शताब्दी में दासता व्यापार का प्रवाह हुआ था। इनमें ऐसे लोग भी थे जिन्हें दासता से मुक्त कर दिया गया और वे अपने घर चले गये। कई बार नये क्षेत्रों में जाने वाले प्रवासी लम्बी अवधि के पश्चात वापस आ जाते हैं।

***(v)* प्रवास एक चयनात्मक प्रक्रिया है**–यह प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है जो निम्नलिखित हैं–

(क) अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं और उनके परिवार अपने जन्म के देश से बाहर प्रवास के लिए कम ही जाते हैं–किसी भी परिवार का प्रवास करना इतना आसान नहीं होता, जितना कि अविवाहित पुरुष को होता है। बहुत-से ऐसे राज्य/देश के कानून/नियम हैं, जो परिवारों को प्रवास का निषेध करते हैं, उन्हें हतोत्साहित करते हैं। इसके बावजूद भी परिवार एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने चले जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे उन्हें अपने धार्मिक रीति-रिवाज, आपसी संबंध याद आते हैं। देश में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें उन्हें अपने परिवार को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है, जैसे युद्ध, विभाजन, आपदा की स्थिति आदि।

(ख) महिला अपने देश में अपने जन्मस्थान से पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवास करती हैं, लेकिन पुरुषों में उनसे ज्यादा विदेश जाने का साहस है–किसी भी देश का विकास उसके लिंग चयनात्मकता पर निर्भर करता है। महिलाएँ अपने रोजगार या कार्य को करने के लिए कम दूरी के प्रवास में ही दिखाई देती हैं, जबकि पुरुष किसी भी प्रवास (यानि कम दूरी वाले प्रवास या अधिक दूरी वाले प्रवास) को अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वीकार कर लेता है। हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ विवाह उपरान्त पास के ही ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवास में ही रुचि रखती हैं। इसलिए ज्यादा शहरी प्रवास पुरुषों का ही होता है, स्त्रियों/महिलाओं का नहीं।

(ग) शहरों में रहने वाले लोग ग्रामीण जनों की अपेक्षा कम प्रवास करते हैं–इसका तात्पर्य है कि जब ग्रामीण जनों को अपने लिए असुविधा अनुभव होती है, तो वे शहरी प्रवास अपनाने लगते हैं। मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से ही शहरी क्षेत्रों में आते हैं। ग्रामीण लोग शहरी लोगों की अपेक्षा खिंचाव व धकेलने की नीति को भली-भांति समझते हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण प्रवास की प्रमुखता है, जो विकासशील देश हैं, उनमें ग्रामीण जनसंख्या बहुतायत मात्रा में होती है।

***(vi)* बड़े शहर प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रयास के कारण अधिक विकसित होते हैं**–प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा शहरों में जनसंख्या का बढ़ोतरी का कारण ग्रामीण से शहरी प्रवास है। प्राकृतिक वृद्धि का तात्पर्य जन्मदर/मृत्युदर से है। भारत में ऐसे अनेकों महानगर हैं, जिनकी वृद्धि रोजगार के लिए आए प्रवासियों के कारण है।

***(vii)* प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक है**–प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। जब व्यक्ति को अपने क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त नहीं होगा, तो वह दूसरे क्षेत्र में जाकर प्रवास करने के लिए विवश हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रवास का निर्णय बड़ा ही जटिल होता है। प्रवास के कारण वह अपने परिवार से विलग यानि कि अलग हो जाता है।

ली का प्रवास का मॉडल

आर्थिक पहलुओं पर रेवेन्स्टीन में प्रवास के नियम लागू होते हैं। धकलने व खिंचाव का विश्लेषण करने के बाद ली ने प्रवास के निर्णयों के परिणामों को विश्लेषित किया है। ये परिणाम निम्नलिखित हैं–

(i) उत्पत्ति के क्षेत्र की विशेषताएँ
(ii) गंतव्य क्षेत्र की विशेषताएँ
(iii) हस्तक्षेपी अवरोध
(iv) व्यक्तिगत कारक

गंतव्य व उत्पत्ति की अनेक प्रकार की विशेषताऐं होती हैं। व्यक्ति इसकी अनुभूति वैवाहिक स्तर, आयु, लिंग के आधार पर कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे वह प्रवास करने के लिए बाध्य हो जाता है। कुछ व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना अपने परिवार के सहयोग से करते हैं और प्रवास नहीं करते।

हस्तक्षेपी अवरोध दो प्रकार के होते हैं–

(1) वास्तविक
(2) काल्पनिक।

वास्तविक बाधा का तात्पर्य यानि व्यक्ति को दूसरे शहर में प्रवास के लिए वीजा/पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसके लिए खर्च करने की उसकी आर्थिक स्थिति उसका साथ नहीं देती है। काल्पनिक बाधा का तात्पर्य किसी अनजान शहर में जाकर प्रवास करने से होता है।

व्यक्तिगत कारक यानि अपने बच्चे, माता-पिता, स्त्री आदि। यदि व्यक्ति अकेला है तो वे आसानी से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर सकता है। परिवार वाला व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवास नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक कारण भी एक व्यक्तिगत कारक हो सकता है, जैसे अपने मित्रों/परिवार से लगाव और उनसे दूरी न सह सकना।

'गतिशीलता पारगमन मॉडल' जेलिस्की ने बनाया था, जिसके द्वारा प्रवास की अनेकों अवस्थाओं को उजागर किया गया है। इन्होंने आपसी संबंधों को स्थापित किया है। ये अवस्थाएँ जनसांख्यिकीय स्थितियों व प्रवास के निर्णयों को भी प्रभावित करती हैं। ये पाँच अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं–

पहली अवस्था–जब उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो उस देश का विकास बहुत कम होता है। कृषि कार्य ऐसा कार्य है, जहाँ व्यक्ति कार्य करते-करते पैदा होता है और वहीं मर जाता है। वह अपने जन्म स्थान पर ही समय बिताना चाहता है। इसके कारण वहाँ प्रवास कम ही होता है।

दूसरी अवस्था–घटती मृत्युदर व बढ़ती जन्मदर के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ प्रवास भी बढ़ता है। आबादी की गतिशीलता के कई कारण होते हैं जैसे-भूमि पर बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता व्यापार आदि। ग्रामीण व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में, शहरी व्यक्ति नगरों में, नगरवासी महानगरों की ओर प्रवास करते हैं।

www.neerajbooks.com